न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—462 सन् 2015

भिखारी राय..................................वादी।

बनाम

भगेरन राय वगै0..........................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 17.04.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 03.03.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 06 सुरेश राय थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 27.03.2019 को हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 06 का नाम वादपत्र से कलमजद करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 06 सुरेश राय का नाम वादपत्र से कलमजद करने की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 06 सुरेश राय थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 27.03.2019 को हो गई है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0 03 के खिलाफ वाद एकपक्षीय नियत चला आ रहा था। इसी दरम्यान उनकी मृत्यु हो गई है। अतः वादी की ओर से दाखिल उपरोक्त आवेदन दिनांक 03.03.2025 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम्

सोनपुर, सारण।